तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमल किशोर जैन, 28, खोड का बास, पाली–राजस्थान। बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 31/2022 जीसीएमएस नं. :– 2022/33 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/2/22	1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 17.09.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./368/2021/159 दिनांक 31.01.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में सूचना से संबंधित विशिष्टियों का अंकन नहीं है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(च) के अनुसार सूचना का सृजन कर अथवा खोज कर दिया जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक/ एफ/कलेक्ट्रेट पाली/1614030111/ 368/ 21/1531 दिनांक 29.09.2021 के अवगत करा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 04.02.2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। नमित मेहता प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	